

अल्पकालीन निविदा सूचना


सर्व साधारण एवं इच्छुक टेण्डर दाताओं को सूचित किया जाता है कि आजमगढ़ वन प्रभाग की विभिन्न रेंजों के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में पौध उगान हेतु थैल की आपूर्ति हेतु मुहरबन्द निविदा दिनांक 13.10.2016 अपरान्ह 12:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिनांक अपरान्ह 3:00 बजे प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आजमगढ़ अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रभागीय कार्यालय में खोली जायेगी। निविदादाता चाहें तो टेण्डर खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में ₹0 500/- नकद जमा करके दिनांक 12.10.2016 को अपरान्ह 5:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

क्र०सं०	सामग्री का विवरण	अनुमानित संख्या (घट बढ़ सकती है)	अर्नेस्ट मनी	विवरण
1	2	3	4	5
1	9 इंच x 12 इंच (200 गेज) पोलीथीन बैग	200000	22000.00	थैले की मात्रा घट बढ़ सकती है

निविदा सम्बन्धी शर्तें

1. पोलीथीन बैग अधोहस्ताक्षरी अथवा नियुक्त पासिंग अधिकारी द्वारा पास की जायेगी और पासिंग के उपरान्त पास सुदा सामग्री स्वीकार की जायेगी।
2. निविदादाता को पासिंग हेतु अपने व्यय पर प्रभागीय कार्यालय पर पोलीथीन बैग उलट-पलट कर दिखानी होगी और पासिंग अधिकारी को दिखा कर संतुष्ट करना होगा। पासिंग के उपरान्त पास सुदा पोलीथीन थैले का चट्टा लगवाना होगा।
3. निविदा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आजमगढ़ के नाम पर होनी चाहिए तथा लिफाफे के ऊपर निविदा वास्ते पोलीथीन थैले आपूर्ति अवश्य लिखा होना चाहिए। उक्त निविदा प्रभागीय कार्यालय में दिनांक 13.10.2016 को अपरान्ह 12:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा प्राप्त होनी चाहिए।
4. निविदा के साथ निर्धारित अर्नेस्ट मनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/काल डिपोजिट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आजमगढ़ के पक्ष में निरूपित हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना इसके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. पोलीथीन बैग निर्धारित मानक के अनुरूप होनी चाहिए टूटे हुए थैले गणना में मान्य नहीं होगी और न ही टूटी हुई पोलीथीन बैग स्वीकार की जायेगी।
6. आपूर्ति आदेश मिलने पर दस दिन के अन्दर आपूर्ति पूर्ण करनी होगी।
7. आपूर्ति किये जाने वाले पोलीथीन बैग की मात्रा घट-बढ़ सकती है।
8. निविदा दाता के पास पोलीथीन बैग सप्लायर का व्यवसाय करने की समस्त नियम सुसंगत एवं वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण होने के सम्बन्ध में अभिलेख साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
9. निविदादाता यदि कोई भागीदार हो तो भागीदारी के समस्त प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
10. व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
11. आय कर की अद्यावधिक रिटर्न पैन कार्ड तथा आयकर क्लियरेंस के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
12. निर्धारित समय के अन्दर सप्लाइ पूर्ण करनी होगी अन्यथा अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा कि वे आपूर्ति आदेश निरस्त कर जमानत की धनराशि जब्त कर लें।
13. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, आजमगढ़ को अधिकार होगा कि प्राप्त निविदा की दर निम्न होने के बावजूद भी एक अथवा समस्त निविदा बिना किसी कारण बतायें निरस्त कर दें और टेण्डरदाता का बकाये की धनराशि वापस कर दी जायेगी।
14. निविदादाता का भुगतान करते समय नियमानुसार बिल से समस्त कर जैसे आयकर, व्यापार कर व अन्य तत्सम्बन्धी देयों की धनराशि काट ली जायेगी।

15. टेण्डर में निविदादाता को अपना पूर्ण पता स्थायी तथा अस्थायी तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं पैन नम्बर/टैन नम्बर स्पष्ट रूप से अभिलेख सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
16. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर वन विभाग के वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़ निर्णय अन्तिम व सर्व मान्य होगा।
17. निविदा दाताओं को सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में पंजीकृत होना चाहिए।
18. प्रस्तुत दर में शुल्क एवं कर आदि का विवरण भी देना होगा।



 (एस0एन0 मिश्र)
 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग, आजमगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आजमगढ़।

पत्रांक 662/15-1 (टेण्डर), आजमगढ़ अक्टूबर 3 /2016

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर।
2. वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।
3. जिलाधिकारी आजमगढ़।
4. समस्त प्रभागीय निदेशक, आजमगढ़ वृत्त आजमगढ़।
5. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़।
6. समस्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, आजमगढ़।
7. N.I.C. आजमगढ़।
8. मानचित्रकार द्वारा कार्यालय अधीक्षक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि टेण्डर की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करायें।
9. कार्यालय अधीक्षक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आजमगढ़।
10. आज दैनिक समाचार पत्र।
11. नोटिस बोर्ड।


 (एस0एन0 मिश्र)
 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग, आजमगढ़।